(वाद संख्या–5392/18)

19.01.2021

परिवादी, सुनीता देवी, अपने पति, शत्रुधन यादव के साथ उपस्थित हैं।

उपस्थित दोनों को सुना व संचिका का अवलोकन किया।

प्रसंगाधीन मामला पश्चिमी चम्पारण, बेतिया जिलान्तर्गत लौरिया थाना के तत्कालीन जमादार, दिलीप तिवारी, द्वारा पक्षपातपूर्ण रवैया अपनाकर अपने निजी स्वार्थ व घटना के अंजाम देने वालों के विरूद्ध कार्रवाई करने के नाम पर परिवादी के पति से रिश्वत लेने व उल्टे उक्त कांड के अभियुक्तों को खुली छूट दिये जाने से संबंधित है।

परिवादी के उपरोक्त आशय के परिवाद पर पुलिस अधीक्षक, पश्चिमी चम्पाण, बेतिया से प्रतिवेदन की मांग की गयी। कई बार स्मारित किये जाने के बावजूद भी पुलिस अधीक्षक, पश्चिमी चम्पारण, बेतिया द्वारा वांछित प्रतिवेदन समर्पित नहीं किया गया।

राज्य आयोग द्वारा पुलिस अधीक्षक, पश्चिमी चम्पारण, बेतिया के आयोग के आदेश के विरूद्ध उपरोक्त उदासीनता के प्रति गंभीर क्षोभ व्यक्त किया जा रहा है।

परिवादी का कथन है कि उसके पड़ोसियों द्वारा उसे अपने घर से बेदखल कर उसके घर को आग लगा दिया गया है तथा आज भी वे लोग उसे घमकी देते रहते हैं जिससे वह तथा उसका परिवार असुरक्षित महसूस कर रहा है।

परिवादी का यह भी कथन है कि दिनांक–24/3.09.2018 की रात्रि में उसके पड़ोसियों (विश्वनाथ यादव, हरिशचन्द्र यादव, मनोज यादव, नरेन्द्र यादव, मंजू देवी व शीला देवी) द्वारा उसके निवास स्थान में आग लगा दिया गया जिससे घर में रखा सारा सामान जलकर राख हो गया। इस घटना के संबंध में परिवादी के लिखित प्रतिवेदन के आधार पर भा0द0वि0 की धारा 435/34 के अन्तर्गत लौरिया थाना कांड संख्या–321/18, दिनांक–09.10.2018 संस्थित किया गया जिसमें पुलिस द्वारा अनुसंधानोपरान्त सभी प्राथमिकी अभियुक्तों के विरूद्ध आरोप–पत्र समर्पित किया जा चुका है तथा मामला अभी पश्चिमी चम्पारण, बेतिया स्थित एक सक्षम न्यायालय में लंबित है।

परिवादी का यह भी कथन हे कि उसके विपक्षियों द्वारा भी लौरिया थाना को मेल में लाकर उसके पति के विरूद्ध शस्त्र अधिनियम की धाराओं 25(1)–बी)ए/26/35 व भा0द0वि0 की धारा 201 के अन्तर्गत दिनांक–30.09.2018 के प्रातः 0.2.38 बजे की घटना को लेकर लौरिया थाना कांड सं0–307/18, दिनांक–30.09.18 संस्थित किया गया है जिसमें पुलिस द्वारा परिवादी के पति के पास से .315 बोर के एक जीवित कारतूस बरामद होने का उल्लेख किया गया है। परिवादी का कथन है कि पुलिस ने उसके पास से कोई अवैध कारतूस वरामद नहीं किया था। परिवादी का यह भी कथन है कि इस कांड में भी पुलिस द्वारा अनुसंधानोपरान्त आरोप–पत्र समर्पित किया जा चुका है तथा मामला वर्त्तमान में एक सक्षम न्यायालय में विचाराधीन है।

अब, जबकि उपरोक्त दोनों कांडों में अनुसंधानोपरान्त मामला सक्षम न्यायालय में विचाराधीन है तो राज्य आयोग द्वारा उपरोक्त दोनों कांडों के संबंध में कोई विचार व्यक्त करना उचित नहीं है।

जहां तक परिवादी या उसके परिवार की ओर से अपने को असुरक्षित महसूस किये जाने का प्रश्न है, राज्य आयोग द्वारा पुलिस अधीक्षक, पश्चिमी चम्पारण, बेतिया को यह निर्देश दिया जाता है कि वह परिवादी तथा उसके परिवार की समुचित सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु आवश्यक कार्रवाई करें। जिससे वे लोग अपने को असुरक्षित महसूस ने कर पायें।

उपरोक्त अनुशंसा के आलोक में प्रसंगाधीन मामले को मानवाधिकार अतिक्रमण की श्रेणी में न पाकर इसे संचिकास्त किया जाता है।

कार्यालय, आज पारित आदेश को सूचनार्थ व उचित कार्रवाई हेतु पुलिस अधीक्षक, पश्चिमी चम्पारण, बेतिया को भेजते हुए परिवादी को भी तद्नुसार सूचित कर दिया जाय।

(उज्ज्वल कुमार दुबे)
सदस्य

निबंधक